संख्या:16/2024/330ई-2/तेरह-2024-1806140

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 8 जून, 2024

विषय:- मेसर्स ओम विलास बनारस (ए यूनिट आफ अल्टीट्यूड रीयल स्टेट एल.एल.पी.), ग्राम लोढ़ान, परगना शिवपुर, बड़ालालपुर, चांदमारी जनपद वाराणसी को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: जी.-153-/दो.-प्रा.एम.बी.(27)/ओम विलास/लघु यवासवनी, दिनांक 28-03-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स ओम विलास बनारस (ए यूनिट आफ अल्टीट्यूड रीयल स्टेट एल.एल.पी.), ग्राम लोढ़ान, परगना शिवपुर, बड़ालालपुर, चांदमारी जनपद वाराणसी द्वारा 300 ब.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 1,05,000 ब.ली. वार्षिक क्षमता तक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने के लिये लघु यवासवनी (माइक्रो ब्रिवरी) की स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा:-

(1) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश यवासवनी (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2021 का अनुपालन किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु हेतु कन्सेन्ट टू आपरेट प्रमाण पत्र दिनांक 24.01.2024 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा माइक्रो ब्रिवरी चलाये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कन्सेन्ट टू आपरेट प्राप्त कर आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराते हुये उसमें उल्लिखित नियमों व शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

(4) इकाई द्वारा स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(FSSAI) से रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में विहित व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(5) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर कोई आबकारी राजस्व बकाया नहीं है।

(6) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**दुर्गा सिंह**)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**